मेसर्स जय बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य एवं अन्य

(12 मई, 2006)

[बी.पी. सिंह, तरुण चटर्जी एवं अल्तमास कबीर, न्यायमूर्ति]

जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962: धारा 5: नई औद्योगिक नीति (1998–2003) – बिक्री कर का भुगतान – उससे छूट – प्रोत्साहन – "प्रतिष्ठित इकाइयाँ" – उक्त औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों को, विशेष रूप से 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक की पूंजी निवेश वाली "प्रतिष्ठित इकाइयों" को प्रोत्साहनों का पैकेज प्रदान किया गया – एक कंपनी द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण इकाई स्थापित की गई – राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उत्पादन प्रारंभ की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या परियोजना में पूंजी निवेश के 150% तक की सीमा तक, जो भी पहले हो, सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई – उसी दिन एक अन्य अधिसूचना जारी की गई, जिसमें मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार माल की बिक्री पर सामान्य बिक्री कर से छूट का प्रावधान किया गया – उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "सॉफ्ट ड्रिंक्स" को मद संख्या VII में दर्शाया गया – संबंधित कंपनी, जिसकी इकाई मध्यम उद्योग के रूप में पंजीकृत थी, ने 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की – राज्य सरकार की नोडल एजेंसी ने कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया – एक प्रमाण पत्र जारी किया गया कि कंपनी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित उद्योग" के रूप में प्रोत्साहनों की हकदार है – तथापि, बाद में एक संप्रेषण द्वारा सूचित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी को बिक्री कर/टोल कर से छूट देने से सहमति नहीं दी है – कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया – अभिनिर्धारित: "प्रतिष्ठित" औद्योगिक इकाइयों पर नकारात्मक सूची (negative list) की अवधारणा लागू नहीं होती – कंपनी द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई ने नई औद्योगिक नीति में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया, अतः वह "प्रतिष्ठित इकाई" है – इसलिए कंपनी राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उपलब्ध सभी प्रोत्साहनों और सब्सिडी की हकदार है – उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया गया।

अपीलकर्ता कंपनी, जो स्वयं को 25 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाली "प्रतिष्ठित इकाई" होने का दावा करती है, ने राज्य सरकार द्वारा 1998–2003 की औद्योगिक नीति के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा किया। उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को, विशेष रूप से 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी निवेश वाली "प्रतिष्ठित इकाइयों" को, प्रोत्साहनों का एक पैकेज प्रदान किया गया था।

अपीलकर्ता कंपनी ने राज्य में सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण इकाई स्थापित की। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उत्पादन प्रारंभ की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या परियोजना में पूंजी निवेश के 150% तक की सीमा तक, जो भी पहले हो, सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। उसी दिन एक अन्य अधिसूचना भी जारी की गई, जिसमें मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार माल की बिक्री पर सामान्य बिक्री कर से छूट का प्रावधान किया गया। उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "सॉफ्ट ड्रिंक्स" को मद संख्या VIII के रूप में दर्शाया गया।

अपीलकर्ता, जिसकी इकाई मध्यम उद्योग के रूप में पंजीकृत थी, ने 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सरकार के समक्ष आवेदन किया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार की नोडल एजेंसी ने अपीलकर्ता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया। एक प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अपीलकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित उद्योग" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ लेने का अधिकारी है। हालांकि, बाद में एक संप्रेषण के माध्यम से यह सूचित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को बिक्री कर/टोल कर के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए सहमति नहीं दी है। इससे आहत होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए:

(a) क्या अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किए जाने हेतु आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है?

(b) क्या अधिसूचना के साथ संलग्न नकारात्मक सूची (negative list) "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर भी लागू होती है?

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. **जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 5 को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा "प्रतिष्ठित इकाइयों" को दी गई छूट किसी भी नकारात्मक सूची (negative list) का उल्लेख नहीं करती। [514-A, B]**

2. **जहाँ सरकार की औद्योगिक नीति सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों से संबंधित है, वहीं अधिसूचना द्वारा नकारात्मक सूची (negative list) केवल मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों पर लागू की गई है। स्पष्ट रूप से, अधिसूचना के संदर्भ में सूक्ष्म और लघु इकाइयों को इससे बाहर रखा गया है। अधिसूचना में नकारात्मक सूची को लघु उद्योगों पर केवल तैयार माल की बिक्री और कच्चे माल की खरीद के संदर्भ में लागू किया गया है, किंतु इसे सूक्ष्म इकाइयों पर लागू नहीं किया गया है। जहाँ भी नकारात्मक सूची लागू की गई है, वहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। किसी भी अधिसूचना में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि नकारात्मक सूची "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर भी लागू होती है। इसके विपरीत, अधिसूचना में प्रयुक्त भाषा, जो एक गैर-बाधक खंड (non-obstante clause) से प्रारंभ होती है, इसके विपरीत निष्कर्ष का समर्थन करती है। अतः यह माना गया कि नकारात्मक सूची की अवधारणा "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर लागू नहीं होती। सरकार ने भी अपनी औद्योगिक नीति और उसके बाद जारी अधिसूचनाओं को इसी प्रकार समझा। इस विषय पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया, जिसमें स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने भी विचार किया और यह समझा गया कि अपीलकर्ता का प्रस्ताव नई औद्योगिक नीति से कोई विचलन नहीं करता। इसके पश्चात इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा और अंततः मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया, जिसने प्रस्ताव को स्वीकृति दी तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम को अपीलकर्ता के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) करने की अनुमति दी। सरकार को यह ज्ञात था कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाई सॉफ्ट पेय पदार्थों के**

निर्माण और बॉटलिंग का संयंत्र है, जिसकी क्षमता लगभग 800 बोतल प्रति मिनट है। यह भी ज्ञात था कि इस परियोजना में लगभग 27.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश है। इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत होने के बावजूद, सरकार ने अपीलकर्ता को नई औद्योगिक नीति (1998–2003) के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उपलब्ध प्रोत्साहन और सब्सिडी, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि अर्थात मार्च, 2000 के अंत से प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर विचार करने के बाद सरकार ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 27.50 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित सॉफ्ट पेय निर्माण और बॉटलिंग संयंत्र "प्रतिष्ठित इकाइयों" के लिए निर्धारित प्रोत्साहनों के पैकेज का हकदार है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने और 27 करोड़ रुपये से अधिक लागत से औद्योगिक इकाई स्थापित होने के पश्चात, सरकार द्वारा अपना रुख बदलना अनुचित प्रतीत होता है। [515-जी, एच; 516-ए-जी]

3. अपनी नई औद्योगिक नीति पर विचार करने के बाद तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत, सरकार ने यह सचेत निर्णय लिया कि यदि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाई मार्च, 2000 के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दे और 30 सितंबर, 2000 तक या उससे पहले 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का आवश्यक निवेश कर दे, तो उसे प्रोत्साहनों का पैकेज प्रदान किया जाएगा। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज़ों और सामग्री से स्पष्ट है कि सरकार ने यह निर्णय सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया था, विशेष रूप से उस तिथि के संदर्भ में जिसके भीतर अपीलकर्ता को अपनी औद्योगिक इकाई में 25 करोड़ रुपये का निवेश करना था। राज्य को अपने ही इस सचेत निर्णय की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत अपीलकर्ता को 30 सितंबर, 2000 तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय तथा समझौता ज्ञापन (MOU) में निहित शर्तों के आधार पर कार्य किया। यह तथ्य कि 30 सितंबर, 2000 तक 25 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न प्रत्युत्तर हलफनामों में विवादित नहीं किया गया। अभिलेख पर उपलब्ध व्यापक साक्ष्यों के आधार पर राज्य इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता कि निर्धारित तिथि, अर्थात 30 सितंबर, 2000 तक 27 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका था। इस पृष्ठभूमि में, राज्य

यह कहने की अनुमति नहीं पा सकता कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन नहीं दिए जा सकते, केवल इस आधार पर कि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश नहीं किया गया था, जबकि 27 करोड़ रुपये की राशि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि समझौता ज्ञापन में उल्लेखित है, निवेश कर दी गई थी। [518-ए-इ]

4. **नकारात्मक सूची (negative list) की अवधारणा "प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों" पर लागू नहीं होती है, और अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई ने सरकार की नई औद्योगिक नीति तथा उसके संबंध में जारी अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया है। अतः यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति तथा उसके अनुपालन में जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत वादा किए गए प्रोत्साहनों के पैकेज का हकदार है। [519-ए, बी]**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7147/2004

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू द्वारा दिनांक 4.10.2004 को पारित आदेश, एलपीए (डब्लू) संख्या 73/2004 से उत्पन्न।

के.के. वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, रवि अग्रवाल, एम.जी. रामचंद्रन, के.वी. मोहन तथा के.वी. बालकृष्णन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनीस सुहरावर्दी, अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया:

बी.पी. सिंह, न्यायमूर्ति : वर्तमान अपीलकर्ता, जो स्वयं को 25 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश वाली "प्रतिष्ठित इकाई" होने का दावा करता है, ने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा उसकी औद्योगिक नीति (1998–2003) के तहत 20 अगस्त, 1998 को जारी अधिसूचना संख्या एसओआर-247 के अंतर्गत सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से छूट का दावा किया। उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को, विशेष रूप से 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक पूंजी निवेश वाली "प्रतिष्ठित इकाइयों" को, प्रोत्साहनों का एक पैकेज प्रदान किया गया था। अपीलकर्ता कंपनी ने जम्मू में एक सॉफ्ट

ड्रिंक निर्माण इकाई स्थापित की। अपीलकर्ता के इस दावे को राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दो रिट याचिकाएँ दायर की गईं। एकल पीठ के विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता उक्त औद्योगिक नीति के अंतर्गत दावा किए गए प्रोत्साहनों का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने विधिसम्मत रूप से "प्रतिष्ठित इकाई" का दर्जा प्राप्त नहीं किया था। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2004 के निर्णय एवं आदेश द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया।

विवाद में सम्मिलित मुद्दों को समझने के लिए उन पृष्ठभूमि तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है, जिनसे यह विवाद उत्पन्न हुआ। तथ्य इस प्रकार हैं:

15 मई, 1998 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुपालन में, 27 मई, 1998 के जी.ओ. संख्या 202 इंड. ऑफ 1998 के साथ संलग्न प्रोत्साहन पैकेज के परिशिष्ट 'A' और 'B' के अनुसार नई औद्योगिक नीति 1998–2003 को स्वीकृति प्रदान की गई। जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बड़े/मध्यम/लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास हेतु प्रोत्साहनों का एक पैकेज प्रदान किया गया। जी.ओ. संख्या 202, वर्ष 1998 के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, वित्त विभाग से परामर्श करके, नई प्रोत्साहन योजना में उल्लिखित नकारात्मक सूचियों (negative lists) को अधिसूचित करेगा।

परिशिष्ट 'B' में निहित प्रोत्साहन पैकेज का प्रासंगिक भाग सामान्य बिक्री कर आदि के भुगतान से छूट से संबंधित है, और इस प्रकार है:-

> "8. *सामान्य बिक्री कर* (General Sales Tax)
>
> (i) मौजूदा स्थानीय लघु उद्योग इकाइयों (SSI units) द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं की बिक्री पर 31.03.2003 तक तथा नई लघु उद्योग इकाइयों के मामले में उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कोई जीएसटी देय नहीं होगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो नकारात्मक सूची में शामिल हों।
>
> (ii) स्थानीय लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों द्वारा क्रय की गई कच्ची सामग्री पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा, सिवाय उन वस्तुओं के जो नकारात्मक सूची में शामिल हों।

(iii) नई मध्यम एवं बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं की बिक्री पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा, उस सीमा तक, जो अन्यथा देय जीएसटी के बराबर हो और जो इकाई में किए गए कुल पूंजी निवेश के 150% तक या उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक (जो भी पहले हो) हो, सिवाय उन वस्तुओं के जो नकारात्मक सूची में शामिल हों।

(iv) लघु उद्योग इकाइयों द्वारा अस्थायी पंजीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कारखाने के निर्माण हेतु मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा।

(v) उपर्युक्त रियायतें एसआईसीओपी (SICOP) को भी उपलब्ध होंगी, जब वह स्थानीय पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की ओर से कार्य कर रहा हो।

9. *केंद्रीय बिक्री कर* (Central Sales Tax)

स्थानीय मौजूदा लघु उद्योग इकाइयों (SSI units) को राज्य के बाहर अपने तैयार माल की बिक्री पर 31.03.2003 तक केंद्रीय बिक्री कर (CST) की वसूली एवं भुगतान से छूट प्राप्त होगी, तथा नई लघु उद्योग इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक ऐसी छूट प्राप्त होगी।

10. *"प्रतिष्ठित इकाइयों (Prestigious Units) के लिए विशेष प्रावधान*

(1) उपर्युक्त पैरा 7, 8 एवं 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रतिष्ठित इकाइयाँ अर्थात वे इकाइयाँ जिनका पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), सामान्य बिक्री कर (GST), केंद्रीय बिक्री कर (CST) तथा विशेष/अतिरिक्त टोल टैक्स के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(2) उपर्युक्त पैरा 7, 8 एवं 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद, वे प्रतिष्ठित इकाइयाँ जो वर्ष 1998 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करती हैं, उन्हें वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक प्रति यूनिट ₹1.50 की दर से विद्युत टैरिफ स्थिर (freeze) रखने का विकल्प होगा।

> पैरा 7, 8, 9 एवं 10 के प्रयोजनों के लिए, सभी नई इकाइयों को यह विकल्प भी होगा कि वे 5 वर्ष की अवधि की गणना उत्पादन की तिथि से अथवा उसके पश्चात आने वाले वित्तीय वर्ष से करें।"

20 अगस्त, 1998 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा "प्रतिष्ठित इकाइयों" को सामान्य बिक्री कर (GST) एवं केंद्रीय बिक्री कर (CST) के भुगतान से उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), छूट प्रदान की गई। सुविधा के लिए उक्त अधिसूचना नीचे पुनः प्रस्तुत की जा रही है।

> "एसआरओ-247: जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. XX) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 8 की उपधारा (5) के साथ पठित, जम्मू एवं कश्मीर सरकार यह निर्देश देती है कि 'प्रतिष्ठित इकाइयाँ', अर्थात वे इकाइयाँ जिनका पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा।"

उसी दिन अधिसूचना संख्या एसआरओ-249 भी जारी की गई, जिसमें मध्यम एवं बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं की बिक्री पर सामान्य बिक्री कर (GST) से छूट का प्रावधान किया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना केवल मध्यम एवं बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की गई जीएसटी छूट से संबंधित है। इसमें न तो लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों का और न ही "प्रतिष्ठित इकाइयों" का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त, उसी दिन "प्रतिष्ठित इकाइयों" को ऐसी छूट प्रदान करने के संबंध में एक पृथक अधिसूचना भी जारी की गई थी। अपीलकर्ता का यह मामला है कि यह अधिसूचना केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों से संबंधित थी और इसने उसी दिन जारी अधिसूचना एसआरओ-247 द्वारा "प्रतिष्ठित इकाइयों" को प्रदान की गई छूट को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं किया। अधिसूचना के खंड 6 के प्रावधान (प्रोवाइज़ो) में यह कहा गया था कि प्रदान की गई रियायतें अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं पर लागू नहीं होंगी। इस बात में कोई

विवाद नहीं है कि “सॉफ्ट ड्रिंक्स” को 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना एसआरओ-249 की अनुसूची में मद संख्या VIII के रूप में दर्शाया गया है।

इस बीच, जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता, जिसकी इकाई एक मध्यम पैमाने की उद्योग के रूप में पंजीकृत थी, ने सरकार के समक्ष 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ताकि वह “प्रतिष्ठित इकाई” का दर्जा प्राप्त कर सके और ऐसी इकाइयों के लिए औद्योगिक नीति में प्रदान किए गए सभी प्रोत्साहनों का लाभ उठा सके।इस प्रस्ताव पर एक बैठक में विचार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सिडको (SIDCO) के प्रबंध निदेशक तथा अपीलकर्ता कंपनी के अध्यक्ष उपस्थित थे। संशोधित प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह देखा गया कि यदि प्रोत्साहनों के लाभ के साथ-साथ निवेश भी समानांतर रूप से साकार हो जाता है, तो नई औद्योगिक नीति से कोई विचलन नहीं होगा। हालाँकि, यह भी महसूस किया गया कि नीति के संदर्भ में एक उदार दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, इस सीमा तक कि यदि 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम छह माह की अवधि के भीतर साकार हो जाता है, तो कंपनी को प्रोत्साहनों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जम्मू एवं कश्मीर सिडको (SIDCO) और अपीलकर्ता कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MOU) निष्पादित किया जाना था। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त थी, जिसके पश्चात एक ज्ञापन मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 7/2 दिनांक 19 जनवरी, 2000 द्वारा अनुमोदित किया गया। तदनुसार, प्रत्युत्तरदाता संख्या 7, सिडको (SIDCO) ने उपर्युक्त शर्तों के अनुसार अपीलकर्ता कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए।

1 फरवरी, 2000 को निष्पादित समझौता ज्ञापन (MOU) में यह उल्लेख है कि अपीलकर्ता कंपनी ने राज्य सरकार से सॉफ्ट बेवरेजेस बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन किया था और राज्य सरकार ने उसे अनुमति प्रदान करने तथा अपनी नोडल एजेंसी, प्रत्युत्तरदाता संख्या 7 सिडको (SIDCO), को समझौता ज्ञापन करने के लिए अधिकृत किया था। यह भी उल्लेखित है कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई में लगभग 27.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित था।

एमओयू (MOU) के अन्य प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैं:-

“और जबकि राज्य सरकार ने यह सहमति दी है कि वह जेबीपीएल (JBPL) को नई औद्योगिक नीति (1998-2003) के अनुसार प्रतिष्ठित इकाइयों पर लागू होने वाले प्रोत्साहन एवं सब्सिडी, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से प्रदान करेगी, जिसके मार्च 2000 के अंत तक प्रारंभ होने की अपेक्षा है, ताकि बड़े पैमाने पर किए जाने वाले पूंजी निवेश को व्यवहार्य बनाया जा सके। सिडको (SIDCO) और जेबीपीएल (JBPL) इस समझौता ज्ञापन में पक्षकारों के बीच सहमत शर्तों एवं नियमों को अभिलेखित करने के इच्छुक हैं, जो आगे उल्लिखित हैं।

*****   ****   ****

जेबीपीएल (JBPL) मार्च, 2000 के अंत तक बाड़ी ब्रह्मणा, जम्मू स्थित पूर्ववर्ती हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के परिसर में उपलब्ध निर्मित भवन में सॉफ्ट बेवरेजेस का निर्माण प्रारंभ करेगा तथा 30.09.2000 तक न्यूनतम 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश पूर्ण करेगा।

****   ****   ****   *****

एम/एस जेबीपीएल (JBPL) वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से, वर्तमान में प्रचलित औद्योगिक नीति के अंतर्गत, जो कि शासनादेश संख्या 202-IND, 1998 दिनांक 27 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित है, “प्रतिष्ठित इकाइयों” पर लागू सभी प्रोत्साहनों एवं सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पात्र तथा हकदार होगा, इस शर्त के अधीन कि जेबीपीएल कम से कम 25 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करेगा, जो कि “प्रतिष्ठित इकाई” के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता है।

****   ****   ***   *****

जेबीपीएल (JBPL) यह वचन देता है कि वह उपलब्ध अवसंरचना में मार्च, 2000 के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगा तथा न्यूनतम 25 करोड़ रुपये का निवेश छह माह की अवधि के भीतर, अर्थात् सितंबर, 2000 के अंत तक पूर्ण करेगा। यदि जेबीपीएल कम से कम 25 करोड़ रुपये (प्रतिष्ठित इकाई के लिए आवश्यक) का निवेश करने में असफल रहता है, तो वह यह भी वचन देता है कि “प्रतिष्ठित इकाई” के रूप में प्राप्त किए गए किसी भी प्रोत्साहन को, यदि कोई हो, बैंक दरों पर ब्याज सहित वापस करेगा, साथ ही प्रासंगिक कानूनों में निर्धारित अन्य परिणामों का भी वहन करेगा।"

समझौता ज्ञापन (MOU) के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई में न्यूनतम लगभग 27.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश सम्मिलित था तथा यह सॉफ्ट बेवरेजेस के निर्माण एवं बॉटलिंग हेतु एक औद्योगिक इकाई थी। यह भी स्पष्ट रूप से समझा गया था कि वाणिज्यिक उत्पादन मार्च, 2000 के अंत तक प्रारंभ किया जाना था और न्यूनतम 25 करोड़ रुपये का निवेश छह माह की अवधि के भीतर, अर्थात् सितंबर, 2000 के अंत तक किया जाना अनिवार्य था। यदि अपीलकर्ता निर्धारित अनुसार निवेश करने में असफल रहता, तो उसने यह वचन दिया था कि वह "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन को, यदि लिया गया हो, ब्याज सहित वापस करेगा। यह भी स्पष्ट रूप से सहमति बनी थी कि अपीलकर्ता वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से, 27 मई, 1998 को प्रकाशित औद्योगिक नीति के अनुसार, वर्तमान में "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर लागू सभी प्रोत्साहनों एवं सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पात्र तथा हकदार होगा।

एमओयू (MOU) के अनुपालन में, 17 फरवरी, 2000 को सिडको (SIDCO) ने अपीलकर्ता कंपनी के पक्ष में 133.6 कनाल भूमि के संबंध में 90 वर्ष की अवधि के लिए लीज़ विलेख निष्पादित किया, जिससे उसे पट्टाधिकार (leasehold rights) प्रदान किए गए।

तत्पश्चात, 25 अप्रैल, 2000 को सिडको (SIDCO) ने एक प्रमाण-पत्र जारी किया, जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि अपीलकर्ता अपनी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से, औद्योगिक नीति 1998-2003 के अनुसार, "प्रतिष्ठित उद्योग" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ उठाने का पात्र है।

उक्त प्रमाण-पत्र इस प्रकार है:-

जिस किसी के लिए यह संबंधित हो

यह प्रमाणित किया जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCO) ने एम/एस जय बेवरेजेस प्रा. लि. (JBPL) के साथ 800 बीपीएम स्थापित क्षमता वाला एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु, जिसकी पूंजी निवेश राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक है, एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया है। यह मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 7.2 दिनांक 10-01-2000 के अनुपालन में किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर सिडको (SIDCO) के साथ दिनांक 1 फरवरी, 2000 को निष्पादित समझौता ज्ञापन के अनुसार, जेबीपीएल (JBPL) नई औद्योगिक नीति 1998-2003 (प्रचलित) के अनुरूप वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित उद्योग" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ उठाएगा, इस शर्त के अधीन कि कंपनी 30 सितंबर, 2000

तक निवेश पूर्ण कर लेगी, अन्यथा वह प्राप्त किए गए प्रोत्साहनों को ब्याज सहित वापस करेगी। दिनांक 20-08-1998 की एसआरओ 247, जो कि अधिसूचना संख्या एफ-एसटी/163/98 के माध्यम से जारी की गई है और जो "प्रतिष्ठित इकाइयों" को प्रोत्साहन प्रदान करने को नियंत्रित करती है, इस प्रकार है:-

> "जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि वे 'प्रतिष्ठित इकाइयाँ', जिनका पूंजी निवेश 25.00 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उन्हें उत्पादन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक या परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% तक छूट प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, जीएसटी/सीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा।"

उपरोक्त के आलोक में, जेबीपीएल (JBPL) वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ लेने का अधिकारी है।

(रमन सोनी)
महाप्रबंधक

25 अप्रैल, 2000 को, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (Officer on Special Duty) ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव एवं सचिव को पत्र लिखकर सूचित किया कि 1 जनवरी, 2000 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुपालन में अपीलकर्ता कंपनी के साथ निष्पादित एमओयू के दृष्टिगत, एक एसआरओ जारी किया जाए जिससे अपीलकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की जा सके।

14 जून, 2000 को उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा भी सिडको (SIDCO) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के समान आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जो इस प्रकार है:-

जिस किसी के लिए यह संबंधित हो

जैसा कि महाप्रबंधक, जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, वीर मार्ग, जम्मू द्वारा पत्र संख्या IDG/ROJ/99/803 दिनांक 25-04-2000 के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCO) ने एम/एस जय बेवरेजेस प्रा. लि. (JBPL) के साथ 800 बीपीएम स्थापित क्षमता वाला एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने हेतु, जिसकी पूंजी निवेश राशि 25 करोड़ रुपये से अधिक है, एक समझौता ज्ञापन (MOU) निष्पादित

किया है। यह मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 7/2 दिनांक 10-01-2000 के अनुपालन में किया गया है। जेबीपीएल (JBPL) नई औद्योगिक नीति 1998-2003 (प्रचलित) के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित उद्योग" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ उठाएगा, इस शर्त के अधीन कि कंपनी 30 सितंबर, 2000 तक निवेश पूर्ण कर लेगी, अन्यथा वह प्राप्त किए गए प्रोत्साहनों को ब्याज सहित वापस करेगी। दिनांक 20-08-1998 की एसआरओ 247, जो अधिसूचना संख्या FD/ST/163/98 के माध्यम से जारी की गई है और जो "प्रतिष्ठित इकाइयों" को प्रोत्साहन प्रदान करने को नियंत्रित करती है, इस प्रकार है:-

> "जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि 'प्रतिष्ठित इकाई', अर्थात वह इकाई जिसका पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), जीएसटी/सीएसटी के भुगतान से छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा।"

उपरोक्त के आलोक में, जेबीपीएल (JBPL) वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ लेने का अधिकारी है।

(देविंदर के. एन.) आईएएस
निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य,
जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर।

12 दिसंबर, 2000 के आदेश द्वारा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक ने अपीलकर्ता की इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किया। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "जबकि एम/एस जय बेवरेजेस प्रा. लि. ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एम/एस ओ.पी. बागला एंड कंपनी, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली द्वारा जारी एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 30-09-2000 तक के पूंजी निवेश के संबंध में यह प्रमाणित किया गया है कि कंपनी द्वारा 2711.59 लाख रुपये का निवेश किया गया है।
>
> जबकि उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित विवरणों का प्रमाणीकरण महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जम्मू द्वारा उनके पत्र संख्या DIC/JI/MDI/2875 दिनांक 24-

11-2000 के माध्यम से किया गया है।

जबकि जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDCO) ने इकाई का निरीक्षण किया है और लगभग 27.12 करोड़ रुपये के निवेश का सत्यापन किया है, जिसकी सूचना उनके पत्र संख्या IDC/CO/PROJ/803-II/1136 दिनांक 9-12-2000 के माध्यम से दी गई है।"

अतएव, एम/एस जय बेवरेजेस (प्रा.) लि. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जम्मू और जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, एम/एस जय बेवरेजेस (प्रा.) लि., जो औद्योगिक परिसर, बाड़ी ब्रह्मणा, जम्मू में स्थित है, को 27-05-1998 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किया जाता है और इस प्रकार यह उक्त नीति तथा वित्त विभाग द्वारा जारी एसआरओ संख्या 247 दिनांक 20-08-1998 में निहित प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यह आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्यापन के उपरांत यह पाया गया कि अपीलकर्ता ने 30 सितंबर, 2000 तक 27.12 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

इस प्रकार, उपर्युक्त अधिसूचनाओं, आदेशों और प्रमाण-पत्रों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में सिडको (SIDCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) किया, जिसके तहत 25 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश के साथ सॉफ्ट पेय पदार्थों के निर्माण एवं बॉटलिंग के लिए एक उद्योग स्थापित किया जाना था। पक्षकारों के बीच यह स्पष्ट रूप से सहमति थी कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली इकाई "प्रतिष्ठित इकाइयों" के लिए औद्योगिक नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के पैकेज का लाभ उठाने की पात्र होगी। वाणिज्यिक उत्पादन 30 मार्च, 2000 तक प्रारंभ किया जाना था और 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश 30 सितंबर, 2000 तक या उससे पहले किया जाना था। प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह स्थापित करते हैं कि वाणिज्यिक उत्पादन सहमति के अनुसार प्रारंभ हो गया था और 30 सितंबर, 2000 तक 27 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश किया जा चुका था।

4 जुलाई, 2002 की एक संप्रेषण द्वारा, जो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अवर सचिव द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक को संबोधित थी, यह सूचित किया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को बिक्री कर/टोल कर के भुगतान से छूट प्रदान करने पर सहमति नहीं दी है। इससे आहत होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में पहली रिट याचिका, ओडब्लूपी संख्या 613/2002, दायर की, जिसमें 4 जुलाई, 2002 के पत्र को निरस्त करने तथा प्रतिवादियों को यह निर्देश देने हेतु रिट ऑफ मैंडमस जारी करने की प्रार्थना की गई कि वे 27 मई, 1998 के सरकारी आदेश, 20 अगस्त, 2000 की एसआरओ 247 तथा 1 फरवरी, 2000 के एमओयू के अनुसार अपीलकर्ता की "प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई" के संबंध में बिक्री कर और टोल कर से छूट प्रदान करें। अपीलकर्ता ने अन्य सहायक राहतों की भी प्रार्थना की।

इसके पश्चात, 25 अक्टूबर, 2002 को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा एक संप्रेषण जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा जिन इकाइयों को "प्रतिष्ठित" का दर्जा प्रदान किया गया था, उनके आदेशों को तब तक स्थगित रखा गया है जब तक कि उनके मामलों पर सक्षम प्राधिकारी, अर्थात राज्य स्तरीय समिति-I, द्वारा विचार नहीं कर लिया जाता। इसमें अपीलकर्ता की इकाई भी शामिल थी।

सरकार के इस निर्णय को भी उच्च न्यायालय के समक्ष ओडब्लूपी संख्या 1166/2002 में चुनौती दी गई।

दोनों रिट याचिकाओं को एक साथ सुना गया और 30 जुलाई, 2004 के सामान्य निर्णय एवं आदेश द्वारा उनका निपटारा करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा करने वाले माननीय न्यायाधीश के समक्ष, उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एसआरओ 247 के अनुसार, "प्रतिष्ठित इकाई" का दर्जा उसी औद्योगिक इकाई को दिया जा सकता है जिसमें 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो। यह निवेश प्रारंभिक निवेश होना चाहिए, अर्थात् 25 करोड़ रुपये का निवेश उस समय किया जाना आवश्यक है जब इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे, न कि उसके विकास के किसी बाद के चरण में। अतः यह तर्क दिया गया कि चूंकि अपीलकर्ता की इकाई ने 24 अप्रैल, 2000 को उत्पादन प्रारंभ किया और उस तिथि तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश नहीं किया गया था, इसलिए वह औद्योगिक नीति के तहत जारी अधिसूचना संख्या एसआरओ 247 के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की हकदार नहीं है। दूसरा, यह तर्क दिया गया कि नकारात्मक सूची मध्यम एवं बड़े पैमाने

की औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती है, और चूंकि अपीलकर्ता एक मध्यम उद्योग के रूप में पंजीकृत था, इसलिए यदि वह अधिसूचना एसआरओ 249 की अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण में संलग्न है, तो वह प्रोत्साहनों का लाभ नहीं ले सकता। "सॉफ्ट ड्रिंक्स" उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं में से एक होने के कारण, अपीलकर्ता एसआरओ 249 के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन का अधिकारी नहीं है। तीसरा, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उद्योग विभाग द्वारा अपीलकर्ता की इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित करने का कोई भी निर्णय अधिसूचना एसआरओ 249 को अधिरोहित नहीं कर सकता, और किसी भी स्थिति में वह बिक्री कर विभाग पर बाध्यकारी नहीं है। वित्त विभाग केवल तभी छूट प्रदान कर सकता है जब वह एसआरओ 247 और 249 के प्रावधानों के अनुसार इकाई को पात्र पाए। चौथा, यह तर्क दिया गया कि चूंकि मंत्रिमंडल ने अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए मांगी गई छूट को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वित्त विभाग और बिक्री कर विभाग अपीलकर्ता को प्रोत्साहन देने से इंकार करने और जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान पर जोर देने में उचित थे।

दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि "प्रतिष्ठित इकाई" के लिए कोई पृथक पंजीकरण का प्रावधान नहीं है। मध्यम या बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाई और "प्रतिष्ठित इकाई" में यह अंतर है कि यदि किसी औद्योगिक इकाई में 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया जाता है, तो उसे "प्रतिष्ठित इकाई" का दर्जा प्रदान किया जाता है और वह उस श्रेणी के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों की पात्र हो जाती है। अपीलकर्ता ने समझौता ज्ञापन (MOU) में निर्धारित अवधि के भीतर 27 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था और इसलिए वह "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में मान्यता पाने का अधिकारी था। जहाँ तक नकारात्मक सूची (negative list) का संबंध है, अपीलकर्ता का यह मामला था कि यह केवल मध्यम और बड़े उद्योगों पर लागू होती है, न कि उन "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर जिनका पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समझौता ज्ञापन करने का निर्णय सर्वोच्च स्तर, अर्थात मंत्रिमंडल स्तर पर लिया गया था, और 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने की अवधि उसी समझौता ज्ञापन में निर्धारित की गई थी। तथ्यात्मक रूप से यह विवादित नहीं था कि 30 सितंबर, 2000 तक अपीलकर्ता द्वारा 27 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने सरकार द्वारा "प्रतिष्ठित इकाई" का दर्जा प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया था। संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र भी जारी किए गए थे और सत्यापन के पश्चात यह भी प्रमाणित

किया गया था कि 30 सितंबर, 2000 तक अपीलकर्ता द्वारा 27.12 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जा चुका था। अपीलकर्ता का यह भी कहना था कि यदि राज्य सरकार द्वारा उसकी औद्योगिक नीति के तहत जारी अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है, तो उसे "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह भी विशेष महत्व का नहीं है कि ऐसी घोषणा वित्त विभाग द्वारा नहीं, बल्कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा जम्मू एवं कश्मीर सिडको (SIDCO) द्वारा जारी की गई थी।

माननीय न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि एसआरओ 247 के अनुसार "प्रतिष्ठित इकाई" के मामले में 25 करोड़ रुपये का निवेश प्रारंभिक निवेश के रूप में किया जाना आवश्यक था। बाद के किसी चरण में किया गया निवेश अप्रासंगिक माना गया। अतः, चूंकि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि, अर्थात 24 अप्रैल, 2000 तक 25 करोड़ रुपये का निवेश नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित नहीं किया जा सकता था और वह 20 अगस्त, 1998 की एसआरओ 247 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रोत्साहनों का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि सरकार द्वारा ऐसा कोई एसआरओ जारी नहीं किया गया था जिसमें अपीलकर्ता की इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किया गया हो। अपीलकर्ता की इकाई एक मध्यम पैमाने की इकाई के रूप में पंजीकृत थी, अतः यह सरकार पर निर्भर था कि वह यह निर्णय करे कि उक्त औद्योगिक इकाई एसआरओ 247 और 249 में निर्दिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करती है या नहीं। एसआरओ 249 के साथ संलग्न नकारात्मक सूची को एसआरओ 247 के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। यद्यपि इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, तथापि माननीय न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एसआरओ 247 और 249 को साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए और कोई भी मध्यम या बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाई, जो अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करती है, उन अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रोत्साहनों की हकदार नहीं होगी।

आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक किसी इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में निर्णय लेना केवल सरकार का अधिकार है, जो यह संतुष्ट होने पर कि औद्योगिक इकाई प्रोत्साहनों के लिए पात्र है, एसआरओ जारी कर सकती है।

इन निष्कर्षों के आधार पर, माननीय न्यायाधीश ने अपने 30 जुलाई, 2004 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को भी 4 अक्टूबर, 2004 के आदेश द्वारा प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचारार्थ मुख्यतः दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

प्रथम, क्या अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किए जाने हेतु आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करती है। इस संदर्भ में यह विचार करना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता ने निर्धारित अवधि के भीतर 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का आवश्यक निवेश किया था। द्वितीय, क्या एसआरओ 249 के साथ संलग्न नकारात्मक सूची (negative list) "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर भी लागू होती है। यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती है, और यदि एसआरओ 249 की नकारात्मक सूची "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर लागू नहीं होती, तो यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निकलेगा कि अपीलकर्ता राज्य सरकार द्वारा उसकी औद्योगिक नीति के अनुपालन में जारी अधिसूचनाओं के तहत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को वादा किए गए प्रोत्साहनों के पैकेज का हकदार है। यह तथ्य विशेष महत्व का नहीं है कि अपीलकर्ता की औद्योगिक इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित करने का प्रमाण-पत्र सिडको (SIDCO) द्वारा जारी किया गया या उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, अथवा यह कि इसे वित्त विभाग या जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए था।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि राज्य द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज में सामान्य बिक्री कर (GST) तथा केंद्रीय बिक्री कर (CST) के भुगतान से संबंधित कुछ लाभ शामिल थे। 27 मई, 1998 के शासनादेश संख्या 202 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'B' में लघु उद्योगों के साथ-साथ मध्यम एवं बड़े उद्योगों के लिए भी कुछ रियायतों का प्रावधान किया गया था, सिवाय उन वस्तुओं के जो नकारात्मक सूची (negative list) में शामिल थीं। यह प्रोत्साहन पैकेज परिशिष्ट 'B' के पैरा 8 और 9 में निहित है, जिन्हें इस निर्णय में पूर्व में उद्धृत किया जा चुका है। परिशिष्ट 'B' का पैरा 10 "प्रतिष्ठित इकाइयों" के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है और इसकी शुरुआत "उपर्युक्त पैरा 7, 8 और 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद" (Notwithstanding anything contained in paragraphs 7, 8 and 9 above) शब्दों से होती है। अतः "प्रतिष्ठित इकाइयों" के संबंध में किया गया यह प्रावधान एक विशेष प्रावधान है, जो केवल उन्हीं इकाइयों पर लागू होता है जिनका पूंजी निवेश 25 करोड़ रुपये या उससे

अधिक है। पैरा 10 के अंतर्गत प्रदत्त लाभ यह है कि ऐसी इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), सामान्य बिक्री कर (GST), केंद्रीय बिक्री कर (CST) तथा विशेष/अतिरिक्त टोल कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त होती है।

एसआरओ 247 और 249 दोनों एक ही दिन, अर्थात 20 अगस्त, 1998 को जारी किए गए थे। एसआरओ 247 में यह प्रावधान है कि "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक या जब तक छूट की राशि परियोजना में किए गए पूंजी निवेश के 150% के स्तर तक नहीं पहुँच जाती (जो भी पहले हो), सामान्य बिक्री कर तथा केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा। यह छूट, जो राज्य सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 5 को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के साथ पढ़ते हुए प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दी गई है, किसी भी नकारात्मक सूची (negative list) का उल्लेख नहीं करती।

दूसरी ओर, उसी दिन जारी एसआरओ 249 में यह प्रावधान किया गया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में पंजीकृत नवस्थापित मध्यम एवं बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं को सामान्य बिक्री कर के भुगतान से छूट दी जाएगी, जो अन्यथा देय होता, उस सीमा तक जो इकाई द्वारा किए गए कुल पूंजी निवेश के 150% के बराबर हो या उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, बशर्ते कि उसमें निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया जाए। उन शर्तों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, परंतु अधिसूचना के पैरा 6 के उपबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि एसआरओ 249 के अंतर्गत दी गई छूट अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। इस प्रकार, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं, जिनमें "सॉफ्ट ड्रिंक्स" भी शामिल हैं, के निर्माण पर कोई छूट उपलब्ध नहीं थी। इसी आधार पर श्री वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि एसआरओ 249 में निहित नकारात्मक सूची केवल "मध्यम एवं बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों" पर लागू होती है, न कि एसआरओ 247 के अंतर्गत परिकल्पित "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर। दोनों एसआरओ, अर्थात 247 और 249, एक ही दिन 20 अगस्त, 1998 को जारी किए गए थे। जहाँ एसआरओ 249 में नकारात्मक सूची शामिल है और उसका आवेदन केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों तक सीमित है, वहीं एसआरओ 247 में ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, शासनादेश संख्या 202, 1998 के परिशिष्ट 'B' में, विशेष रूप से पैरा 8 और 9 में, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को दिए गए लाभों का उल्लेख है। पैरा 8 के उप-पैरा (i), (ii) और (iii) में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उन

लाभों का लाभ उन इकाइयों को उपलब्ध नहीं होगा जो नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत, पैरा 10 एक नॉन-ऑब्स्टेंटे क्लॉज से प्रारंभ होता है और स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि पैरा 7, 8 और 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद, "प्रतिष्ठित इकाइयों" को सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर आदि के भुगतान से पूर्ण छूट प्राप्त करने का विकल्प होगा।

राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी ने यह प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि नकारात्मक सूची (negative list) सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू न हो, चाहे वे लघु, मध्यम, बड़े पैमाने की हों अथवा "प्रतिष्ठित इकाइयाँ" ही क्यों न हों। उनके अनुसार, नकारात्मक सूची की अवधारणा समान है और ऐसा कोई औचित्य नहीं है कि इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में "प्रतिष्ठित इकाइयों" को अन्य औद्योगिक इकाइयों से भिन्न आधार पर माना जाए।

27 मई, 1998 के शासनादेश संख्या 202 के परिशिष्ट 'B' तथा 20 अगस्त, 1998 को जारी एसआरओ 247 और एसआरओ 249 का अवलोकन करने पर, हमारा यह मत है कि नकारात्मक सूची (negative list) की अवधारणा "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर लागू नहीं होती है। शासनादेश संख्या 202 दिनांक 27 मई, 1998 के परिशिष्ट 'B' का पैरा 10 स्पष्ट रूप से "प्रतिष्ठित इकाइयों" के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है और इसकी शुरुआत "पैरा 7, 8 और 9 में निहित किसी भी बात के बावजूद" शब्दों से होती है। पैरा 8 के उप-पैरा (i), (ii) और (iii) में सामान्य बिक्री कर के संदर्भ में लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, किंतु नकारात्मक सूची में शामिल वस्तुओं के लिए यह लाभ उपलब्ध नहीं है। परंतु पैरा 10 में नकारात्मक सूची का कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य "प्रतिष्ठित इकाइयों" को अन्य इकाइयों से भिन्न आधार पर रखना था। इसी प्रकार, एसआरओ 247, जो "प्रतिष्ठित इकाइयों" को सामान्य बिक्री कर एवं केंद्रीय बिक्री कर से छूट प्रदान करता है, उसमें भी नकारात्मक सूची का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि एसआरओ 249, जिसके साथ नकारात्मक सूची अनुसूची के रूप में संलग्न है, केवल नवस्थापित "मध्यम एवं बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों" द्वारा निर्मित तैयार वस्तुओं का उल्लेख करता है और "प्रतिष्ठित इकाइयों" का कोई उल्लेख नहीं करता, जिन्हें एक पृथक श्रेणी के रूप में माना गया है।

हमारे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि "प्रतिष्ठित इकाई" भी अनिवार्यतः मध्यम या बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाई की श्रेणी में ही आती है। अतः, मध्यम एवं बड़े उद्योगों पर नकारात्मक सूची लागू करते समय "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उससे बाहर रखना उचित नहीं है। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। यह एक

नीतिगत विषय है, और यदि सरकार नीति के रूप में "प्रतिष्ठित इकाइयों" को मध्यम एवं बड़े उद्योगों से भिन्न श्रेणी में रखना चाहती है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब तक यह न दिखाया जाए कि ऐसा वर्गीकरण मनमाना या अविवेकपूर्ण है। बड़े औद्योगिक उपक्रम अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और राज्य को राजस्व के रूप में अधिक योगदान देते हैं, जो "प्रतिष्ठित इकाइयों" को विशेष दर्जा देने का एक उचित आधार हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ सरकार की औद्योगिक नीति सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों से संबंधित है, वहीं एसआरओ 249 के माध्यम से नकारात्मक सूची केवल मध्यम एवं बड़े उद्योगों पर लागू की गई है। स्पष्टतः, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को एसआरओ 249 के संदर्भ में इससे बाहर रखा गया है। शासनादेश संख्या 202, 1998 के पैरा 8(i) एवं 8(ii) के अंतर्गत नकारात्मक सूची लघु उद्योगों पर कुछ सीमित संदर्भों (जैसे तैयार वस्तुओं की बिक्री एवं कच्चे माल की खरीद) में लागू की गई है, परंतु इसे सूक्ष्म इकाइयों पर लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ-जहाँ नकारात्मक सूची लागू की गई है, वहाँ इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। किसी भी अधिसूचना में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि नकारात्मक सूची "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर भी लागू होती है। इसके विपरीत, शासनादेश संख्या 202, 1998 के पैरा 10 की भाषा, जो नॉन-ऑब्स्टेंटे क्लॉज से प्रारंभ होती है, विपरीत निष्कर्ष का समर्थन करती है। अतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि नकारात्मक सूची की अवधारणा "प्रतिष्ठित इकाइयों" पर लागू नहीं होती। यही व्याख्या स्वयं सरकार ने भी अपनी औद्योगिक नीति एवं तत्पश्चात जारी अधिसूचनाओं के संदर्भ में की है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया और यह समझा गया कि अपीलकर्ता का प्रस्ताव नई औद्योगिक नीति से कोई विचलन नहीं करता। इसके पश्चात इस विषय पर वित्त विभाग द्वारा विचार किया गया और अंततः मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को स्वीकृति दी तथा सिडको (SIDCO) को अपीलकर्ता के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) करने की अनुमति प्रदान की। सरकार को यह विदित था कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाई सॉफ्ट बेवरेजेस के निर्माण एवं बॉटलिंग से संबंधित है, जिसकी क्षमता लगभग 800 बोतल प्रति मिनट है। यह भी ज्ञात था कि परियोजना में लगभग 27.50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है। इन सभी तथ्यों से पूर्णतः अवगत होने के बावजूद, सरकार ने यह सहमति दी कि अपीलकर्ता को नई औद्योगिक नीति (1998–2003) के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को उपलब्ध प्रोत्साहन एवं सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि, अर्थात मार्च 2000 के अंत से प्रदान किए जाएंगे। अतः, विभिन्न स्तरों पर विचार करने के पश्चात सरकार स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि अपीलकर्ता द्वारा लगभग 27.50 करोड़ रुपये के निवेश

से स्थापित सॉफ्ट बेवरेजेस निर्माण एवं बॉटलिंग संयंत्र "प्रतिष्ठित इकाइयों" के लिए निर्धारित प्रोत्साहन पैकेज का अधिकारी है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने और 27 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से औद्योगिक इकाई स्थापित हो जाने के पश्चात, सरकार ने अपना रुख बदल लिया, जो हमारे विचार में अनुचित था।

अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं कि क्या अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई, 20 अगस्त, 1998 की एसआरओ संख्या 247 के अनुसार "प्रतिष्ठित इकाई" के रूप में अर्हता प्राप्त करती है। उक्त अधिसूचना को हम पहले ही उद्‌धृत कर चुके हैं। यह अधिसूचना "प्रतिष्ठित इकाई" को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो। न तो उक्त अधिसूचना और न ही औद्योगिक नीति में यह निर्धारित किया गया है कि 25 करोड़ रुपये का यह निवेश किस तिथि तक किया जाना आवश्यक है। यह राज्य का मामला भी नहीं है कि यदि वाणिज्यिक उत्पादन 30 सितंबर, 2000 तक प्रारंभ हो गया होता और उस तिथि तक लगभग 27 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका था, तो अपीलकर्ता की इकाई को "प्रतिष्ठित इकाई" नहीं माना जाता। राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति केवल यह है कि इकाई के उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि पर निवेश 25 करोड़ रुपये से कम था, यद्यपि 30 सितंबर, 2000 तक यह निवेश 27 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका था।

समझौता ज्ञापन (MOU) से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को मार्च, 2000 के अंत तक उपलब्ध निर्मित परिसर में सॉफ्ट बेवरेजेस का निर्माण प्रारंभ करना था तथा न्यूनतम 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूंजी निवेश अधिकतम 30 सितंबर, 2000 तक पूर्ण करना था। राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोहतगी भी इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि अपीलकर्ता ने 30 सितंबर, 2000 तक 27.11 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह तथ्य उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक के 12 दिसंबर, 2000 के आदेश में भी स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किया गया था। उक्त आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि इस विषय की जांच महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जम्मू तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। यह निष्कर्ष अपीलकर्ता के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी प्रमाण-पत्र से भी समर्थित था, जिसे महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जम्मू द्वारा सत्यापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जम्मू तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों से तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के 25 अप्रैल, 2000 के पत्र से भी यह स्पष्ट है कि एसआरओ जारी कर अपीलकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से "प्रतिष्ठित

इकाई” के रूप में प्रोत्साहनों का लाभ देने की सिफारिश की गई थी। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार ने एक सुविचारित निर्णय लिया था कि अपीलकर्ता को न्यूनतम 25 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश 30 सितंबर, 2000 तक पूर्ण करने की अनुमति दी जाए। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के 25 अप्रैल, 2000 के पत्र से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करते समय यह महसूस किया गया कि नीति के संदर्भ में एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, इस सीमा तक कि यदि 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 6 माह के भीतर हो जाता है, तो अपीलकर्ता को प्रोत्साहनों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।इस प्रस्ताव को वित्त विभाग तथा मंत्रिमंडल दोनों की स्वीकृति प्राप्त थी, और इसे घोषित नीति से किसी विचलन के रूप में नहीं माना गया।

उपर्युक्त सभी तथ्यों से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति पर विचार करने के पश्चात तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद एक सुविचारित निर्णय लिया था कि अपीलकर्ता द्वारा स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहनों का पैकेज प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वह मार्च, 2000 के अंत तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करे तथा 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का आवश्यक निवेश 30 सितंबर, 2000 तक कर दे। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं सामग्री से यह स्पष्ट है कि सरकार ने यह निर्णय मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात लिया था, विशेष रूप से उस तिथि को ध्यान में रखते हुए जिसके भीतर अपीलकर्ता को अपनी औद्योगिक इकाई में 25 करोड़ रुपये का निवेश करना था।राज्य को अपने ही इस सुविचारित निर्णय की अवहेलना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके तहत अपीलकर्ता को 30 सितंबर, 2000 तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने की अनुमति दी गई थी। अपीलकर्ता ने राज्य सरकार के निर्णय तथा समझौता ज्ञापन (MOU) में निहित शर्तों के आधार पर कार्य किया। यह तथ्य कि 30 सितंबर, 2000 तक 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका था, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर विभिन्न प्रत्युत्तर हलफनामों में विवादित नहीं था। अभिलेख पर उपलब्ध व्यापक साक्ष्यों के प्रकाश में राज्य इस तथ्य से भी इंकार नहीं कर सकता कि निर्धारित तिथि, अर्थात 30 सितंबर, 2000 तक 27 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा चुका था। इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अपीलकर्ता की औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक 25 करोड़ रुपये का निवेश नहीं किया गया था, जबकि 27 करोड़ रुपये का निवेश सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा कि समझौता ज्ञापन में निहित है, किया जा चुका था।

अतः, हम जम्मू एवं कश्मीर राज्य की ओर से प्रस्तुत इस आपत्ति में कोई सार नहीं पाते कि अपीलकर्ता ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने की शर्त पूरी नहीं की। जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया है, स्वयं सरकार का यह मत था कि उसकी बनाई गई नीति के ढाँचे के भीतर एक समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है, जिसके भीतर 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश किया जाना था। इसी के अनुसार, अपीलकर्ता को 30 सितंबर, 2000 तक 25 करोड़ रुपये या उससे अधिक का निवेश करने का निर्देश दिया गया था, जिसका पालन अपीलकर्ता ने किया। हमें न तो नीति में और न ही उसके अनुपालन में जारी अधिसूचनाओं में ऐसा कुछ दिखाया गया है, जिसमें 25 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित की गई हो, अथवा यह कहा गया हो कि नीति के ढाँचे के अंतर्गत राज्य सरकार को ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं था, जिसके भीतर उक्त निवेश किया जाना आवश्यक हो।

हमारे इस निष्कर्ष के मद्देनज़र कि नकारात्मक सूची (negative list) की अवधारणा "प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों" पर लागू नहीं होती है तथा अपीलकर्ता द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाई ने सरकार की नई औद्योगिक नीति एवं उससे संबंधित अधिसूचनाओं में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा कर लिया है, यह अवश्य माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति तथा उसके अनुपालन में जारी अधिसूचनाओं के तहत वादा किए गए प्रोत्साहनों के पैकेज का हकदार है।

जहाँ तक इस प्रश्न का संबंध है कि सिडको (SIDCO) अथवा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वैध हैं या नहीं, अथवा 12 दिसंबर, 2000 के आदेश द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता को "प्रतिष्ठित इकाई" घोषित किया जाना राज्य सरकार पर बाध्यकारी है या नहीं—इनका इस मामले में कोई विशेष महत्व नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा सभी आवश्यक शर्तों का पालन कर लिया गया है, अतः वह राज्य की नई औद्योगिक नीति (1998–2003) के अंतर्गत "प्रतिष्ठित इकाइयों" को प्रदान किए जाने वाले लाभों का अधिकारी है।

अतः, हम जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 73/2004 में पारित निर्णय एवं आदेश को निरस्त करते हैं तथा अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हैं। यह घोषित किया जाता है कि अपीलकर्ता उक्त इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से, शासनादेश संख्या 202-IND, 1998 दिनांक 27 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित नई औद्योगिक नीति तथा उसके अनुपालन में जारी

अधिसूचनाओं के अंतर्गत “प्रतिष्ठित इकाइयों” को लागू सभी प्रोत्साहनों एवं सब्सिडियों का अधिकारी है। तदनुसार, यह अपील बिना किसी व्यय (costs) के आदेश के स्वीकृत की जाती है ।

वीएसएस अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|